



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE  
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

प्रधान आयुक्त का कार्यालय  
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER  
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क  
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE  
कोच्चिन, COCHIN

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

फा.सं.॥ /39/9/2015 -हिन्दी /के.उ.शु.

तारीख/Date: 03.07.2017

सेवा में/ To

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य,  
केन्द्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क एवं सेवा कर आयुक्तालय,  
कोचिन-18

All the members of the O L I C,  
Central Excise & Customs Commissionerate,  
Cochin-18.

महोदय/महोदया/ Sir/Madam,

विषय: राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 29.06.2017 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत्त।

Sub: Minutes of the quarterly Meeting of the Official Language Implementation Committee held on 29.06.2017.

केन्द्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क एवं सेवा कर प्रधान आयुक्त का कार्यालय, कोचिन-18 की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 29.06.2017 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत्त सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए इस के साथ संलग्न है। सभी संबन्धित अधिकारियों से अनुरोध है कि समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

Kindly find enclosed a copy of the minutes of the quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee (OLIC) of the Office of the Principal Commissioner of Central Excise & Customs, Cochin-18 held on 29.06.2017. All concerned Officers are requested to take necessary action to ensure the compliance of the decision taken by the Committee.

भवदीय/Yours faithfully,



सी.डी.जोस/C.D.JOSE

सहायक आयुक्त(का.व सत.)/ASSISTANT COMMISSIONER[P&V]

प्रतिलिपि /Copy to:

1. महा निदेशक, निष्पादन प्रबंधन महा निदेशालय, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, इन्द्र प्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली ।  
**The Director General, Directorate of Inspection, Customs, Central Excise & Service Tax, "D" Block, I P Estate, New Delhi - 2.**
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क। केन्द्रीय राजस्व भवन, आई.एस.प्रेस रोड, कोचिन -18।  
**The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, C.R.Building, I.S.Press Road, Cochin-18**
3. आयुक्त के निजी सचिव/ सभी अनुभाग प्रमुख/ मण्डल कार्यालय  
**P.S to Commissioner/ All Section Heads/ Divisions**
4. सभी केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त  
**All the Commissioner's of Central Tax & Central Excise.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE  
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

प्रधान आयुक्त का कार्यालय  
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER  
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क  
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE  
कोच्चिन, COCHIN

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर प्रधान आयुक्त का कार्यालय, कोच्चिन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 29.06.2017 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत्त।

Minutes of the quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee of the Office of the Principal Commissioner of Central Excise, Customs and Service Tax, Cochin held on 29.06.2017

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर प्रधान आयुक्त का कार्यालय, कोच्चिन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 29.06.2017 को अपराह्न 03.00 बजे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर प्रधान आयुक्त श्री पुल्लेला नागेश्वरा राव की अध्यक्षता में आयुक्तालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई।

The quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee of the Office of the Principal Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax, Cochin was convened on 29.06.2017 at 03.00 pm under the Chairmanship of Shri Pullela Nageswara Rao, Principal Commissioner of Central Excise, Customs and Service Tax, Cochin in the Conference Hall of the Commissionerate. The following members attended the meeting.

क्र.सं S.No.	अधिकारी का नाम Name of the Officer	पदनाम Designation	अनुभाग /मंडल Section/Division
1	श्री अमरनाथ केसरी Shri Amarnath Kesari	संयुक्त आयुक्त (का.व सत.) Joint Commissioner(P&V)	मुख्यालय Hqrs.
2	श्री सी.डी.जोस Shri C.D.Jose	सहायक आयुक्त (का.व सत.) Assistant Commissioner (P&V)	मुख्यालय Hqrs.
3	श्रीमती सुनिता पी.एल. Smt.Sunitha P.L.	प्रशासनिक अधिकारी Administrative Officer(H)	मुख्यालय Hqrs.
4	श्री एन.पी.पद्मकुमार N.P.Padmakumar	अधीक्षक (प्रशासन) Superintendent(Admn.)	मुख्यालय Hqrs.
5	श्री बेन्नी पी.जेकब	अधीक्षक(ई.डी.पी.)	मुख्यालय

	Shri Benny P.Jacob	Superintendent(E.D.P.)	Hqrs.
6	श्रीमती सरस्वती राममोहन Smt. Saraswathy Rammohan	अधीक्षक(गोपनीय) Superintendent(Cfdl.)	मुख्यालय Hqrs.
7	श्री जोसकुट्टी जॉर्ज Shri Josekutty George	अधीक्षक(तकनीकी) Superintendent(Technical)	मुख्यालय Hqrs.
8	श्री थॉमस सी.ए. Shri Thomas C.A.	अधीक्षक(निवारक) Superintendent(Preventive)	मुख्यालय Hqrs.
9	श्री रॉय जॉन Shri Roy John	अधीक्षक(समीक्षा) Superintendent(Review)	मुख्यालय Hqrs.
10	टैनस मत्ताई Shri Tainus Mathai	अधीक्षक(विधिक) Superintendent(Legal)	मुख्यालय Hqrs.
11	रॉय जोसफ Roy Joseph	अधीक्षक(न्यायनिर्णयन ) Superintendent(Adjudication)	मुख्यालय Hqrs.
12	श्रीमती रोसेलिंड जोस थॉमस कोरुत Smt. Rosalind Jose Thomas Koruthu	कनिष्ठ अनुवादक Junior Translator	मुख्यालय Hqrs.

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया और बैठक आरंभ की।

The Chairman welcomed all the members of the Committee and commenced the meeting.

#### I पिछली बैठक के निर्णयों पर कार्रवाई / Action taken on the decisions of the last meeting.

- a. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है । Documents coming under section 3(3) of OL Act,1963 should be issued only in bilingual form:

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कागजात जैसे कि स्थापना आदेश, परिपत्र, अधिसूचनाएं, सूचनाएं आदि 'हिन्दी रूपांतर बाद में' लगाकर जारी होते हैं और एक प्रति हिन्दी अनुभाग में अनुवाद के लिए भेज देते हैं और उसे अनुवाद के बाद हिन्दी अनुभाग वापस कर देता है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया है कि भविष्य में भी इसे सख्ती से पालन किया जाए। इस विषय पर कनिष्ठ अनुवादक ने समिति को सूचित किया कि धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कागजातों के हिन्दी रूपांतर को कार्यालय के वेबसाइट के हिन्दी भाग में अपलोड किया जा रहा है।

इस अवसर पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2017-18 का वार्षिक कार्यक्रम की प्रतियां उपस्थित सदस्यों को दी गईं। अध्यक्ष महोदय ने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयास करने का निदेश दिया और इसकी प्रतियां सभी मंडल कार्यालयों और अनुभागों को परिचालित करने का निदेश भी दिया .

The documents coming under section 3(3) of OL Act, 1963 like establishment orders, circulars, notifications, notices etc were issued with 'Hindi version follows' and one copy was sent to Hindi Section and the same was

translated and given back by the Hindi Section. The Chairman directed that the same may be strictly followed in future too. Regarding this the Junior Translator informed the committee that the Hindi version of the documents are being uploaded in the Hindi portion of our website.

Copies of the Annual Programme 2017-18 issued by the Dept. Of Official Language was given to the members present. The Chairman directed the officers to make all efforts to achieve the targets prescribed and it was also directed that the copies of the annual programme may be circulated to all Division offices and sections.

**कार्रवाई:** प्रशासनिक अधिकारी(मु.), प्रशासन, तकनीकी,न्यायनिर्णयन, सतर्कता अनुभागों के  
अधीक्षक, जन संपर्क अधिकारी, कनिष्ठ अनुवादक

**Action: AO(Hqrs.), Supdt.s of Admn., Technical, Adjn., Vigilance sections, PRO, JT**

- b. स्थापना अनुभाग से जारी होने वाले स्थानांतरण आदेश, तकनीकी अनुभाग से जारी होने वाली व्यापार सूचनाएं तथा मुख्य आयुक्त कार्यालय से 'क' क्षेत्र को जाने वाली सामान्य रिपोर्ट आदि को द्विभाषी में फ़ारमैट करना / **Bilingual Formatting of transfer orders issued from Estt. section, trade notices issued from technical section etc and regular reports sent to Region 'A' from CCO :-**

समिति को सूचित किया गया कि मुख्य आयुक्त कार्यालय से 'क' क्षेत्र को जाने वाली सामान्य रिपोर्टों को द्विभाषी रूप में फ़ारमैट किया गया है। स्थानांतरण आदेश तथा व्यापार सूचना का द्विभाषी रूप में फ़ारमैट करने का कार्य अगली तिमाही में किया जाएगा।

The Committee was informed that regular reports sent to Region 'A' from CCO have been formatted bilingually. Bilingual formatting of transfer orders and trade notices will be done in the next quarter.

- c. कैरली पत्रिका का प्रकाशन/ **Publication of Kairali Magazine :**

समिति को सूचित किया गया कि विभागीय पत्रिका कैरली - 2016-17 की द्वितीय प्रूफ प्रति मुद्रक से प्राप्त हो गई है। पत्रिका जल्द ही प्रकाशित की जा सकती है।

The Committee was informed that second proof of the departmental magazine 'Kairali' -2016-17 has been received from the printer. Magazine can be published very soon.

**कार्रवाई:** राजभाषा हिन्दी अनुभाग/केयर टेकर, जन संपर्क अधिकारी एकक

**Action: OL Hindi Section/Care taker, PRO Unit**

- d. हिन्दी पुस्तकों की खरीद /**Purchase of Hindi Books:**

समिति को सूचित किया गया कि हिन्दी पुस्तकालय के लिए 44 नई पुस्तकें खरीदी गई हैं तथा उक्त पुस्तकों की सूची कार्यालय वेबसाइट में अपलोड की गई है।

The Committee was informed that 44 new books were purchased for the Hindi Library and the list of the above books is published in the office website.

**कार्रवाई:** राजभाषा हिन्दी अनुभाग

**Action: OL Hindi Section**

**e. फ़ाइलों में 30% हिन्दी टिप्पणियाँ /30% noting on files :**

समिति को सूचित किया गया कि केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार 'ग' क्षेत्र के लिए फ़ाइलों पर हिन्दी टिप्पणियों की प्रतिशतता 30% है। कनिष्ठ अनुवादक ने सभी अधिकारियों से अनुरोध किया कि महीने में कम से कम 3 टिप्पणियाँ फ़ाइलों पर लिखें ताकि 30% का लक्ष्य प्राप्त कर सकें।

The Committee was informed that as per the Annual programme issued by the department of Official Language for all the Central Government Offices the target for Hindi notes on files is 30% in 'C' region. Junior translator made a request to all the officers to write at least 3 notes in Hindi in each file in a month so that 30% target may be achieved.

**कार्रवाई : सभी अनुभाग,मंडल,रेंज**

**Action : All Sections, Divisions, Ranges**

**f. पुस्तकालय के लिए हिन्दी चित्रों की सी.डी. यों की खरीद / Purchase of CDs of Hindi movies for the library:-**

समिति को सूचित किया गया कि पुस्तकालय के लिए हिन्दी चित्रों की सी.डी. यों की खरीद अगली तिमाही में की जाएगी।

The Committee was informed that purchase of CDs of Hindi movies for the library will be made in the next quarter.

**कार्रवाई: राजभाषा हिन्दी अनुभाग/ जन संपर्क अधिकारी एकक**

**Action: OL Hindi Section/ PRO Unit**

**II हिन्दी पत्राचार की प्रतिशतता पर समीक्षा /**

**Review of the percentage of the Hindi Correspondence:-**

समिति को तीनों क्षेत्रों में जाने वाले हिन्दी पत्रों की प्रतिशतता सूचित की गई। वह इस प्रकार है:- यथाक्रम दिनांक 31.03.2017,30.06.2017 को समाप्त होने वाली तिमाहियों में क -47.6%-46.20%,ख-65%-72.7%,ग -46.4%-43.09%।

The Committee was informed percentage of Hindi correspondence to three regions:-It is as follows :- A-47.6%-46.20%, B-65%-72.7%, C-46.4%-43.09% for the quarters ending on 31.03.2017,30.06.2017 respectively.

**कार्रवाई : सभी अनुभाग**

**Action : All Sections**

सदस्यों से अन्य कोई सुझाव न होने पर अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक अपराहन 03.30 बजे समाप्त हुई।

As no further suggestions came from the members the meeting ended at 03.30 pm with vote of thanks to the chair.

  
(सी.डी.जोस/ C.D.JOSE)

**सहायक आयुक्त(का.व सत.)/ ASSISTANT COMMISSIONER(P&V)**